

Order Sheet [Contd]

Case No 298/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21.07.2017	<p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अभियुक्त रामदास अभिरक्षा से गोहद जेल से पेश। आरोपी/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्वत द्वारा अपना मेमो प्रस्तुत किया एवं एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।</p> <p>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय के अभिलेखागार से सत्र प्रकरण क्रमांक 67/1988 (शासन द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी वि0 तुलाराम आदि) का मूल रिकार्ड प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित होता है कि पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा अपराध क्रमांक 75/1986 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री राजीव शर्मा) के न्यायालय में दिनांक 17.11.86 को आरोपीगण तुलाराम उर्फ कैलाश, रामस्वरूप उर्फ रामशरण, अमरसिंह उर्फ पप्पू, मुस.श्यामा, उत्तमसिंह, रामेश्वरसिंह, हरीशचन्द्र, भीका, शेरा उर्फ शेरसिंह उर्फ रमेश, रामदास, नरेशा, नारायण तथा प्रीतमसिंह के विरुद्ध भा.द.वि. 363, 366, 368, 120बी एवं 34 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.03.1988 को आरोपी राजाराम, नरेश, शेरा उर्फ शेरसिंह, रामदास को फरार घोषित करते हुए स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने का आदेश दिया था। तत्पश्चात् शेष आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय को उपापित किया गया था। तत्पश्चात् अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के समक्ष उपस्थित आरोपीगण रामसहाय उर्फ रामशरण, अमरसिंह उर्फ पप्पू, प्रीतम, नरेश, भीका, रामेश्वर के विरुद्ध विचारण चला एवं विचारण उपरांत दिनांक 30.12.1999 को निर्णय घोषित करते हुए आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया था तथा फरार अभियुक्तगण के उपस्थित होने तक रिकार्ड को नष्ट न करने के निर्देश के साथ प्रकरण अभिलेखागार भेजा गया था।</p> <p>आरोपी के विरुद्ध विधिवत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा ही आरोपी को गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया है। अपर लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि यदि थाना एण्डोरी को आरोपी से अपराध के संबंध में कोई पूछताछ की जानी हो तो वह विधिवत कार्यवाही करे।</p> <p>प्रकरण लगभग तीस वर्ष से अधिक पुराना है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आज ही आरोप तर्क सुने गए।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 372 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रकरण में पर्याप्त आधार होने से उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया गया, जो कि आरोपी को पढ़कर सुनाया समझाया गया तो उसके द्वारा अपराध अस्वीकार किया तथा धारा 294 दं. प्र.सं. के तहत अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चालान के सम्पूर्ण दस्तावेजों को अस्वीकार कर विचारण की मांग की। इस संबंध में आरोपी का प्रथक से अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।</p>	

प्रकरण आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर तर्क हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

ए.एस.जे. गोहद

पुनश्चय:-

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।

अभियुक्त रामदास अभिरक्षा से गोहद जेल से पेश। सहित श्री ऊदलसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री उदलसिंह गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना एण्डोरी में झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है जिससे आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक 10.08.17 से अभिरक्षा में है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदक/आरोपी के अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और उसे 6 टना की कोई जानकारी नहीं है और घटना के इतने दिन पश्चात् उसे गलत रूप से निरोध में लिया गया है।

आवेदक/अभियुक्त पर 17.05.1985 से 25.07.1986 के बीच अवयस्क मधु को वैश्यावृत्ति/दुराचार के प्रयोजन से बिक्रय करने का गंभीर आरोप है। अभियुक्त अनुसंधान के स्तर से ही फरार रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध फरार घोषित कर स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, किन्तु आरोपी घटना के लगभग तीस वर्ष पश्चात् गिरफ्तार हुआ है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।

अभियोजन तीन दिवस के अंदर आवश्यक रूप से ट्रायल प्रोग्राम पेश करे। साथ ही आरोपी को आवश्यक रूप से अभियोगपत्र की प्रतियाँ प्रदान करे।

प्रकरण उसी नम्बर पर पुनः दर्ज किया जावे।

प्रकरण ट्रायलप्रोग्राम प्रस्तुत हेतु दिनांक 30.08.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

ए.एस.जे. गोहद